राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड़ मिनरल्स लिमिटेड़

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

कॉरपोरेट कार्यालयः– 4, मीरा मार्ग, उदयपुर – 313 001

रजि. कार्यालयः– सी–89–90, लाल कोठी स्कीम जयपुर,CIN-U14109RJ1949SGC000505

Phone : 0294-2428763-67, Fax : 0294-2428770

e-mail : info.rsmml@rajasthan.gov.in, Website: www.rsmm.com

क्रमांकः–आरएसएमएम / सीओ / पर्स / 19(39) / 2024 / 574 दिनांकः– 15.10.2024

कार्यालय–आदेश

राजस्थान सरकार, वित्त (नियम अनुभाग) विभाग के आदेश क्रमांक F.12(4)FD/Rules/2024 जयपुर दिनांक 11.09.2024 एवं F.12(3)FD/Rules/2023 जयपुर दिनांक 20.09.2024 के अर्न्तगत राजस्थान सिविलि सेवा (पेंशन) नियम 1996 में संशोधन किया गया है, जिसके अनुसरण में आरएसएमएमएल कर्मचारी पेंशन विनियम (रेग्यूलेशन) में निम्नानुसार संशोधन किये जाते है।

1. आरएसएमएमएल कर्मचारी पेशन विनियम रेग्यूलेशन (संशोधन) नियम 2024 एवं आरएसएमएमएल कर्मचारी पेशंन विनियम रेग्यूलेशन द्वितीय (संशोधन) नियम 2024 माना जावेगा।

2. उक्त दोनों नियम दिनांक 01.04.2024 से प्रभावी होगें।

3. आरएसएमएमएल कर्मचारी पेंशन विनियम (रेग्यूलेशन) नियम संख्या 39 में विद्य मान अभिव्यक्ति "20 लाख रुपये" के स्थान पर अभिव्यक्ति "25 लाख रुपये" प्रतिस्थापित की जाती है।

4. आरएसएमएमएल कर्मचारी पेशन विनियम रेग्यूलेशन (संशोधन) नियम संख्या 46 (क) में "ऐसे मामले में जहां मृत्यु दिनांक 01.04.2024 को या उसके बाद हुई हो, कम्पनी–कर्मचारी की मृत्यु की दिनांक से 10 वर्ष की अवधि के लिए परिवार को पारिवारिक पेंशन बढ़ी हुई देर से देय होगी " जोडा जाता है।

5. आरएसएमएमएल कर्मचारी पेंशन विनियम (रेग्यूलेशन) नियम संख्या 38 में निम्नानुसार जोड़ा जाता है।

पेंशनर / फैमेली पेंशन की आयुः– पेंशन / फैमेली पेंशन पर राशि पर अतिरिक्त लाभ

70 वर्ष किन्तु 75 वर्ष से कम :–	मूल पेशन / फैमेली पेंशन का 5 प्रतिशत (मंहगाई भत्ता देय नहीं)

6. आरएसएमएमएल कर्मचारी पेंशन विनियम (रेग्यूलेशन) के नियम संख्या 48 में विद्य मान अभिव्यक्ति निःशक्तता / विकलांग के स्थान पर, जहां कही भी वह आती है, अभिव्यक्ति " विशेष रुप से सक्षम " से प्रतिस्थापित की जाती है।

7. आरएसएमएमएल कर्मचारी पेंशन विनियम (रेग्यूलेशन) के नियम संख्या 48 के (ड) के बाद नया खण्ड़ (ढ) निम्नानुसार अन्तः स्थापित किया जाता है:–

"विशेष रुप से सक्षम भाई–बहन उस स्थिति में, जब तक कर्मचारी या पेंशनर के परिवार में कोई विधवा या विदुर या बच्चा या माता–पिता पारिवारिक पेंशन के जीवित ना हो।"

Signature valid

Digitally signed by Suresh Kumar Jain
Designation : Executive Director
Date: 2024.10.15 11:46:59 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 11119803

8. आरएसएमएमएल कर्मचारी पेंशन विनियम (रेग्यूलेशन) के नियम संख्या 48 के स्पष्टीकरण (प) के पहले निम्नानुसार अन्तः स्थापित किया जाता हैः–
"बशर्ते की विशेष रुप से सक्षम भाई–बहन को पारिवारिक पेंशन तभी देय होगी, जब विकलांगता कर्मचारी या पेंशनर की मृत्यु से पहले मौजूद थी। कर्मचारी/पेंशनर के पुत्र–पुत्री जो विशेष रुप से सक्षम है के लिये अन्य शर्तें समान रहेगी, जो नियमों में दी गई है।"

9. आरएसएमएमएल कर्मचारी पेंशन विनियम (रेग्यूलेशन) के नियम संख्या 71 में बिन्दु (ix) निम्नानुसार जोडा जाता है।
पेंशन स्वीकृत अधिकर्ता, पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) में कर्मचारी के जीवन–साथी के नाम के साथ "विशेष रुप से सक्षम" आश्रित संतान, माता–पिता तथा भाई–बहन का नाम भी अंकित करेंगें यदि परिवार के अन्य किसी भी सदस्य को पारिवारिक पेंशन देय नहीं हो।

उक्त आदेश सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित हैं।

(सुरेश कुमार जैन)रा.ले.से.
कार्यकारी निदेशक (प्रशासन)

प्रतिलिपिः–
1. निजि सचिव, श्रीमान मुख्य सचिव राजस्थान सरकार एवं अध्यक्ष महोदय आरएसएमएमएल।
2. निजी सहायक,प्रबन्ध निदेशक, आरएसएमएमएल सीओ।
3. वित्तिय सलाहकार, आरएसएमएमएल उदयपुर।
4. समस्त समूह महाप्रबन्धक/प्रमुख एवं प्रभारी समस्त एसबीयू–पीसी कार्यालय / समस्त विभागाध्यक्ष/उपमहाप्रबन्धक आई.टी.(वेब साईट पर अपलोड कराने)/रजि. /देहली/कोंलकाता कार्यालय।
5. संयुक्त विधि परामर्शी/वरि.प्रबन्धक आर.ए.एस.
6. मुख्यालय पेशन प्रकोष्ठ, सीओ।
7. कार्यालय/गार्ड पत्रावली।
8. समस्त सूचना पट्ट।

कार्यकारी निदेशक (प्रशासन)

Signature valid
Digitally signed by Suresh Kumar Jain
Designation : Executive Director
Date: 2024.10.15 11:46:59 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 11119803